

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाबता दीवानी)

मज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम टोडाभीम
इजलास जगदीश आर्य R. S.

उनवान

मौली पुत्र मूलचन्द
मौली नेवा मूलचन्द
मौली निवासी
करोली
तहसील टोडाभीम
करोली

बनाम

1 सरकार जिरिये जिला कलक्टर
करोली
2 तहसीलदार - टोडाभीम
जिला - करोली

मौलाना खोहदाई इब्तदाई इब्तदाई

मुकदमा नं० 14 सन् 2013

हम एषा भी निषेधाज्ञा

ह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई सबई कि हं सनाम गुजर व हाजिरी

मिनकानिब गुदई सबरु हजार

मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

हाया वादी बिबाफ पुर्तिवादी बगारिज कि था जाता है

मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

का अदा करें।

दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 10 सन् 2015

जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करोली)

ओहदा

मुदायला	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा					
स्टाम्प अर्जी					
महन्ताना वकील					
खर्चा गवाहान					
फीस कमिशनर					
बाबत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक					
मीजान					

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।

3

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

पत्रावली जनरल पेशी से पेश हुई। वकूलाय उपय तहसीलदार
जोडाभीम से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है आदेश दिनांक 11.8.15 को
पेश हो।

8/15 वकूलाय उपरिभर / 100 सादल युनाय भीरिया
मे काली पचौर है। गानानुसार दिनांक
8-9-15 को पेश हो।

9/15 वादी वकील उपय। वारंटे बहाल रिपोर्ट तहसीलदार
जोडाभीम आदेश दिनांक 2-10-15 को पेश हो।

10/15 वादी वकील उपय। वादी वकील की बहाल सुनी गई।
वास्ते आदेश दिनांक 14-10-15 को पेश हो।

10/15 वादी वकील उपस्थित। दावा वादीगण खारिज किया
जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जा रहा है।
पत्रावली फेसल शुमार होकर नवा
से कम होकर वाकिल दफतर हो।

उप जिला कलेक्टर
जोडाभीम (करौली)